भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2025-26/240

विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 159/20-16-003/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निर्वाहन) निदेश, 2025

विषयसूची

अध्याय I – प्रारंभिक 2
अध्याय II – बोर्ड का कार्य....................8
अध्याय III – इरादतन चूककर्ताओं का निर्वाहन 9
अध्याय IV – इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं की रिपोर्टिंग 15
अध्याय V – निवारक उपाय और लेखा परीक्षकों की भूमिका....................19
अध्याय VI – निरसन और अन्य प्रावधान....................22
अनुबंध I – बड़े चूककर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने का प्रारूप....................24
अनुबंध II – इरादतन चूक के मामलों का डेटा प्रस्तुत करने का प्रारूप 27

परिचय

इन निदेशों का उद्देश्य बैंकों द्वारा किसी उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक भेदभावरहित और पारदर्शी प्रक्रिया का प्रावधान करना है। इन निदेशों का उद्देश्य इरादतन चूककर्ताओं की क्रेडिट संबंधी जानकारी का प्रसार करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना भी है ताकि ऋणदाताओं को आगाह किया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें आगे संस्थागत वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाए।

तदनुसार, बैंकिंग विनियमन धिनियम, 1949 की धारा 21 और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; और क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 के अनुसार, रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद द्वारा, आगे निर्दिष्ट ये निर्देश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निर्वाहन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. प्रयोज्यता

(1) ये निदेश स्थानीय क्षेत्र बैंक (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'बैंकों और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।

(2) इरादतन चूककर्ताओं के लिए आगे की वित्तीय सुविधा पर प्रतिबंध और बड़े चूककर्ताओं के संबंध में प्रावधान, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं पर लागू होंगे, भले ही वे इन निदेशों में दिए गए 'ऋणदाता' की परिभाषा के अंतर्गत आते हों या नहीं।

3. परिभाषाएं

(1) इन निदेशों में, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) "*उधारकर्ता*" का अर्थ वह व्यक्ति होगा जिसने बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त की है;

(ii) " *क्रेडिट सुविधा* " का अर्थ किसी भी निधि आधारित या गैर-निधि आधारित सुविधा से होगा , जिसमें डेरिवेटिव, गारंटी और साख पत्र जैसी तुलन पत्रेतर मदें शामिल हैं, जो बैंक ने उधारकर्ता को दी है।

(iii) " *क्रेडिट सूचना कंपनी* " (सीआईसी) का अर्थ ऐसी कंपनी है जिसे क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 5 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

(iv) " *चूक* " का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 में दिया गया है

(v) " *निदेशक* " का अर्थ उस कंपनी के निदेशक से होगा जिसे बड़े चूककर्ता/ इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और वे उस समय कंपनी से जुड़े थे जब कंपनी/इसके निदेशकों द्वारा की गई किसी भूल या चूक के कारण चूक हुई थी।

(vi) " *निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)* " का अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिया गया है।

(vii) " *निधियों का अपयोजन* " का अर्थ और इसमें निम्नलिखित घटनाएँ शामिल हैं :

ए. क्रेडिट सुविधा की मंजूरी की शर्तों के अनुरूप नहीं होने वाले दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालिक कार्यशील पूंजी निधि का उपयोग;

बी. क्रेडिट सुविधा का उपयोग करके प्राप्त धनराशि को उन आस्तियों के निर्माण में लगाना, जिनके लिए क्रेडिट स्वीकृत नहीं किया गया था;

सी. क्रेडिट सुविधा का उपयोग करके प्राप्त धनराशि को अनुषंगी कंपनियों/समूह कंपनियों या अन्य संस्थाओं को, किसी भी तरीके से बैंक / कंसोर्टियम के सभी ऋणदाता के अनुमोदन के बिना हस्तांतरित करना;

डी. बैंक या कंसोर्टियम के ऋणदाता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बैंक या कंसोर्टियम के ऋणदाता के अलावा किसी अन्य ऋणदाता के माध्यम से धन को मार्गस्थ कराना;

ई. बैंक या कंसोर्टियम के ऋणदाता की मंजूरी के बिना इक्विटी/ऋण लिखतों को प्राप्त करने के माध्यम से अन्य कंपनियों/ संस्थाओं में क्रेडिट सुविधा का उपयोग करके प्राप्त धनराशि का निवेश करना; और

एफ. क्रेडिट सुविधा के तहत वितरित/आहरित राशि की तुलना में धन को लगाने में कमी और अंतर का हिसाब नहीं दिया जाना।

(viii) "*गारंटर*" वह व्यक्ति/संस्था है जिसने क्रेडिट सुविधा की गारंटी दी है।

(ix) "*पहचान समिति " का अर्थ* बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ता की पहचान करने के लिए गठित समिति होगी और इसमें:

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) / सीईओ या समकक्ष अधिकारी के अलावा एक पूर्णकालिक निदेशक अध्यक्ष के रूप में और दो वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जो कि समिति के अध्यक्ष से दो पद नीचे नहीं होंगे। ऐसे मामलों में जहां एमडी और सीईओ / सीईओ या समकक्ष अधिकारी के अलावा केवल एक पूर्णकालिक निदेशक है, ऐसे पूर्णकालिक निदेशक समीक्षा समिति का भाग हो सकते है यदि एमडी और सीईओ / सीईओ या समकक्ष अधिकारी का पद रिक्त है। ऐसे मामलों में पूर्णकालिक निदेशक से एक रैंक नीचे का अधिकारी पहचान समिति की अध्यक्षता कर सकता है, जिसमें दो वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे, जो समिति के अध्यक्ष से एक पद से नीचे नहीं होंगे।

(x) "*स्वतंत्र निदेशक*" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिया गया।

(xi) " *बड़े* **चूककर्ता"** का अर्थ है ₹1 करोड़ और उससे अधिक की बकाया राशि वाला चूककर्ता, और

(ए) जहां मुकदमा दायर किया गया है; या

(बी) जिनके खाते को संदिग्ध या हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया है (रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार)।

(xii) " *ऋणदाता*" का का अर्थ निम्नलिखित संस्था जिसने उधारकर्ता को ऋण सुविधा प्रदान की है:

(ए) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उप-धारा (सी), (डीए) और (एनसी) के तहत परिभाषित वाणिज्यिक बैंक, जिसमें लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। इसमें भुगतान बैंक सम्मिलित नहीं हैं;

(बी) अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक;

(सी) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – लाइसेंसिकरण, पुन: निर्धारण और विनियामक वर्गीकरण) दिशानिर्देश, 2025 में निहित विनिर्देशों के संदर्भ में टियर 3 और 4 के अंतर्गत आनेवाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक;

(डी) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, अर्थात, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु

उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अथवा राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी);

(ई) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन का फ्रेमवर्क रूपरेखा) दिशानिर्देश, 2025 में निहित विनिर्देशों के संदर्भ में एनबीएफसी-मध्य स्तर (एनबीएफसी-एमएल) और उससे उच्च स्तर के अंतर्गत आने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)।

(xiii) " *नामित निदेशक* " का अर्थ ऋणदाता, नियामक प्राधिकरण, या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नामित निदेशक है।

(xiv) "*प्रवर्तक*" का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस में रखा गया है या कंपनी द्वारा वार्षिक विवरणी में पहचाना गया है, और

(ए) कंपनी के मामलों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता है, चाहे वह एक शेयरधारक के रूप में हो, निदेशक या अन्यथा; और/या

(बी) जिसकी सलाह, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल कार्य में अभ्यस्त है।

(xv) "*समीक्षा समिति*" का अर्थ पहचान समिति के प्रस्ताव की समीक्षा के उद्देश्य से बैंक द्वारा गठित समिति है और इसमें :

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) / सीईओ या समकक्ष अधिकारी के अलावा एक पूर्णकालिक निदेशक अध्यक्ष के रूप में और दो वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जो कि समिति के अध्यक्ष से दो पद से अधिक नीचे नहीं होंगे। ऐसे मामलों में जहां एमडी और सीईओ / सीईओ या समकक्ष अधिकारी के अलावा केवल एक पूर्णकालिक निदेशक है, ऐसे पूर्णकालिक निदेशक समीक्षा समिति का भाग हो सकते है । यदि एमडी और सीईओ / सीईओ या समकक्ष अधिकारी का पद रिक्त है, ऐसे मामलों में पूर्णकालिक निदेशक से एक रैंक नीचे का अधिकारी पहचान समिति की अध्यक्षता कर सकता है, जिसमें दो वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे, जो समिति के अध्यक्ष से एक पद से नीचे नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण : समीक्षा समिति में वे सदस्य शामिल नहीं होंगे जो पहचान समिति का हिस्सा हैं।

(xvi) " *धन की हेराफेरी* " यदि बैंक से क्रेडिट सुविधा का उपयोग करके प्राप्त किसी भी धनराशि का उपयोग उधारकर्ता के संचालन से असंबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो "धन की हेराफेरी" हुई मानी जाएगी।

(xvii) " *वाद दायर खाता* " से अर्थ ऐसे खाते से है जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एक या एक से अधिक संस्थाओं ने अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए अदालतों या न्यायाधिकरणों (दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत आने वाले सहित) से संपर्क किया है, और कार्यवाही लंबित है।

स्पष्टीकरण 1 : यदि मूल वसूली कार्यवाही के क्रम में कोई आवेदन, अपील या **निर्वाहन** लंबित है तो खाते को वाद दायर माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 **:** वाद दायर खातों में वे खाते माने जाएंगे जिनमें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्यवाही या उधारकर्ता या सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों के अंतर्गत ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति से बकाया राशि की वसूली के लिए कोई अन्य कार्यवाही प्रारम्भ की गई है और वह लंबित है, और इसमें उस देनदार का खाता शामिल होगा जिसके विरुद्ध समाधान या परिसमापन कार्यवाही शुरू की गई है और जारी है।

(xviii) *" इरादतन चूक"*

(ए) उधारकर्ता द्वारा तब घटित माना जाएगा जब उधारकर्ता ऋणदाता को भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक करता है और निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक विशेषताएं पाई जाती हैं:

(ए) उधारकर्ता में उक्त दायित्वों को पूरा करने की क्षमता है;

(बी) उधारकर्ता ने ऋणदाता से ऋण सुविधा के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया है;

(सी) उधारकर्ता ने ऋणदाता से ऋण सुविधा के तहत प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया है;

(डी) उधारकर्ता ने ऋणदाता की स्वीकृति के बिना ऋण सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदान की गई अचल या चल आस्तियों का निपटान कर दिया है;

(ई) उधारकर्ता या प्रवर्तक इक्विटी देने की क्षमता होने के बावजूद ऋणदाता के

साथ अपनी प्रतिबद्धता में विफल रहा है, तथापि ऋणदाता ने इस प्रतिबद्धता और अन्य अनुबंधों और शर्तों के आधार पर उधारकर्ता को ऋण या कुछ रियायतें प्रदान की हैं।

(बी) गारंटीकर्ता द्वारा इरादतन चूक तब मानी जाएगी जब गारंटीकर्ता, ऋणदाता द्वारा इनवोक किए जाने पर गारंटी का सम्मान नहीं करता है, जबकि उसके पास बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन हैं या उसने ऋणदाता की मंजूरी के बिना ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई अचल या चल संपत्तियों का निपटान कर दिया है या इक्विटी लगाने की क्षमता होने के बावजूद वह ऋणदाता से की गई इक्विटी अंतर्वेशन की प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहा है, यद्यपि, ऋणदाता ने इस प्रतिबद्धता के आधार पर उधारकर्ता को ऋण या कुछ रियायतें प्रदान की हैं।

(xix) " *इरादतन चूककर्ता* " का अर्थ है:

(ए) ऐसा उधारकर्ता या गारंटर जिसने जानबूझकर ऋण नहीं चुकाया है और बकाया राशि 25 लाख रुपये या उससे अधिक है, या जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा, और

(बी) जहाँ इरादतन चूक करने वाला उधारकर्ता या गारंटर एक कंपनी है, तो पैराग्राफ 5(14) के प्रावधानों के अधीन उसके प्रवर्तक और निदेशक, या

(सी) किसी संस्था (कंपनी के अलावा) के मामले में, वे व्यक्ति जो संस्था के मामलों के प्रबंधन का प्रभारी और जिम्मेदार हैं।

(2) ऋण के हस्तांतरण का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – क्रेडिट जोखिम का हस्तांतरण और वितरण) निदेश, 2025 के अनुसार किया गया हस्तांतरण होगा और इसलिए, *"हस्तांतरण", "हस्तांतरणकर्ता"* और *"हस्तांतरिती" शब्दों का* उसमें निर्दिष्ट समान अर्थ होगा।

(3) अन्य सभी अभिव्यक्तियों का, जब तक कि यहां परिभाषित न किया गया हो, वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, या क्रेडिट सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005, या कंपनी अधिनियम, 2013, या किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियमों या रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दावली या वाणिज्यिक बोलचाल में प्रयुक्त, जैसा भी मामला हो, के तहत दिया गया है।

4. इन निदेशों के कार्यान्वयन की नीति

बैंक द्वारा इन निदेशों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार की जाएगी, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) अधिकारी के पद को निर्दिष्ट करने के संबंध में दिशानिर्देश, जो क्रमशः पहचान समिति और समीक्षा समिति की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और लिखित आदेश देगा।

(ii) उन खातों की पुनः जांच के लिए आवधिकता जहां प्रारंभिक जांच के दौरान ' इरादतन चूक' नहीं पाई गई थी;

(iii) गैर-भेदभावपूर्ण मानदंड जिसके आधार पर इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत और घोषित व्यक्तियों की तस्वीरें प्रकाशित की जाएंगी;

(iv) निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकताओं और संबंधित उचित उपायों का अनुपालन।

(v) अनुच्छेद 20(6) में दिए गए अनुसार फोरेंसिक ऑडिट कराने के लिए खाते में बकाया राशि की सीमा।

5. इरादतन चूककर्ताओं की पहचान और वर्गीकरण के लिए प्रणाली

(1) बैंक द्वारा इन निदेशो में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर किसी व्यक्ति को ' इरादतन चूककर्ता' के रूप में पहचान और वर्गीकरण किया जाएगा। इरादतन चूक करने वाले की पहचान उधारकर्ताओं के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए की जाएगी और अलग-अलग लेन-देन/घटनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।

(2) इरादतन वर्गीकृत की जाने वाली चूक जानबूझकर, सोच-समझकर, गणना करके की गई होनी चाहिए और उपर्युक्त पैरा 3 (1) (xviii) में निर्धारित शर्तों को पूरा करनी चाहिए।

(3) इरादतन चूक के साक्ष्य की जांच पहचान समिति द्वारा की जाएगी।

(4) यदि पहचान समिति इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि इरादतन ऋण न चुकाने की घटना घटी है, तो समिति द्वारा उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/संस्था के मामलों के प्रबंधन के प्रभारी और उत्तरदायी व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और कारण बताओ नोटिस जारी होने के 21 दिनों के भीतर उनसे जवाब मांगा जाएगा। बैंक द्वारा उन्हें वह सभी सामग्री और जानकारी प्रदान की जाएगी जिन पर कारण बताओ नोटिस आधारित है।

स्पष्टीकरण : निदेशक/व्यक्ति जो संस्था के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, अर्थात जो उस समय कंपनी/संस्था से जुड़े थे जब कंपनी/संस्था द्वारा की गई भूल-चूक कृत्यों के कारण चूक हुई।

(5) प्रस्तुतियों पर विचार करने के उपरांत और संतुष्ट होने पर, पहचान समिति लिखित में कारण बताते हुए इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकरण के लिए समीक्षा समिति को प्रस्ताव देगी।

स्पष्टीकरण : यदि पहचान समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्ति जो संस्था के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, वे इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकरण के लिए योग्य नहीं हैं, तो ऐसे मामलों को समीक्षा समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(6) इसके उपरांत उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्ति जो संस्था के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, उन्हें इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के प्रस्ताव के बारे में उचित रूप से सूचित किया जाएगा, साथ ही इसके कारण भी बताए जाएंगे।

(7) उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्तियों को, जो संस्था के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, पहचान समिति से ऐसे प्रस्ताव के 15 दिनों के भीतर समीक्षा समिति को

लिखित अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(8) पहचान समिति के प्रस्ताव तथा प्राप्त लिखित अभ्यावेदन पर समीक्षा समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(9) समीक्षा समिति उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/संस्था के मामलों के प्रबंधन के प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्तियों को भी व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी। हालाँकि, यदि उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/संस्था के मामलों के प्रबंधन के प्रभारी और जिम्मेदारा व्यक्तियों द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया जाता है या व्यक्तिगत सुनवाई में भाग नहीं लिया जाता है, तो समीक्षा समिति, लिखित अभ्यावेदन सहित, यदि कोई हो, अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों या सामग्री का मूल्यांकन करने के बाद, पहचान समिति के प्रस्ताव पर विचार करेगी और निर्णय लेगी।

(10) जैसाकि उपरोक्त वर्गीकरण प्रक्रिया एक आंतरिक कार्यवाही है, इसलिए उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/प्रभारी और मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं होगा।

(11) समीक्षा समिति तर्कसंगत आदेश पारित करेगी और उसे इरादतन चूककर्ता को सूचित किया जाएगा।

(12) नामित अधिकारी क्रमशः पहचान समिति और समीक्षा समिति की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और लिखित आदेश देगा।

(13) कारण बताओ नोटिस और नामित अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि इसे सक्षम प्राधिकारी अर्थात पहचान/समीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसके सदस्यों की पहचान की जानी चाहिए।

(14) पूर्णकालिक निदेशक के अलावा किसी अन्य निदेशक, जिसमें स्वतंत्र निदेशक/नामित निदेशक भी शामिल है, को तब तक इरादतन चूककर्ता नहीं माना जाएगा जब तक कि यह निर्णायक रूप से स्थापित न हो जाए कि:

(i) उधारकर्ता या गारंटर द्वारा इरादतन चूक उनकी सहमति या मौन सहमति से हुई है या

(ii) वे उधारकर्ता या गारंटर द्वारा की गई इरादतन चूक के तथ्य से अवगत थे, जैसा कि बोर्ड की बैठक या बोर्ड की समिति की कार्यवाही के विवरण में दर्ज कार्यवाही से पता चला है, लेकिन उन्होंने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं की है।

(15) गैर-पूर्णकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक/नामित निदेशक, जिन्हें इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है, का नाम अनुबंध II में दिया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख जाएगा कि वे

गैर-पूर्णकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक/नामित निदेशक हैं।

6. इरादतन चूक की पहचान के लिए खातों की समीक्षा

(1) बैंक 25 लाख रुपये या उससे अधिक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित बकाया राशि वाले सभी गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) खातों में ' इरादतन चूक' के पहलू की जांच करेगा।

(2) यदि आंतरिक प्रारंभिक जांच में इरादतन चूक पाई जाती है, तो बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में निहित आस्ति वर्गीकरण के संबंध में अनुदेशों के अनुसार खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने के छह महीने के भीतर पैरा 5 में निर्धारित तंत्र का पालन कर उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत/घोषित करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(3) उन खातों के संबंध में जहां उप-पैरा (1) और (2) में उल्लिखित प्रारंभिक जांच के दौरान ' इरादतन चूक' नहीं पाई गई थी, ' इरादतन चूक' से संबंधित पहलुओं की बाद में बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आवधिकता पर पुनः जांच की जाएगी।

7. इरादतन ऋण न चुकाने वालों के विरुद्ध विशिष्ट उपाय

(1) बैंक द्वारा आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ करना

(i) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, बैंक यह जांच कर सकता है कि क्या लागू कानून के प्रावधानों के तहत इरादतन चूक करने वालों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित है या नहीं।

(ii) इरादतन चूककर्ता की सूची (एलडब्ल्यूडी) से इरादतन चूककर्ता का नाम हटाने से इरादतन चूककर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इरादतन चूककर्ताओं की तस्वीरों का प्रकाशन – बैंक द्वारा गैर-भेदभावपूर्ण बोर्ड-अनुमोदित नीति तैयार की जाएगी जो स्पष्ट रूप से उन मानदंडों को निर्धारित करती हो जिनके आधार पर इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत और घोषित व्यक्तियों की तस्वीरें प्रकाशित की जाएंगी।

(3) इरादतन ऋण न चुकाने वालों के विरुद्ध दंडात्मक एवं अन्य उपाय - किसी भी ऋणदाता द्वारा इरादतन ऋण न चुकाने वाले के रूप में वर्गीकृत किसी भी व्यक्ति/संस्था के मामले में निम्न उल्लिखित दंडात्मक उपाय बैंक द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे :

(i) बैंक द्वारा इरादतन ऋण न चुकाने वाले व्यक्ति या ऐसी किसी संस्था को कोई अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी जिसके साथ इरादतन ऋण न चुकाने वाला व्यक्ति जुड़ा हुआ

है ।

(ii) ऋणदाताओं द्वारा इरादतन ऋण न चुकाने वाले व्यक्ति या ऐसी किसी संस्था जिसके साथ वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है , को अतिरिक्त ऋण सुविधा देने पर प्रतिबंध, इरादतन ऋण न चुकाने वालों की सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा दिए जाने के बाद एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा ।

(iii) बैंक द्वारा इरादतन ऋण न चुकाने वाले व्यक्ति या किसी अन्य संस्था, जिसके साथ इरादतन ऋण न चुकाने वाला व्यक्ति संबद्ध है, को नए उद्यम शुरू करने के लिए कोई ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि ऋणदाताओं द्वारा इरादतन ऋण न चुकाने वालों की सूची से उसका नाम हटाए जाने के बाद पांच वर्ष की अवधि पूरी न हो जाए ।

(iv) इरादतन ऋण न चुकाने वालों या किसी ऐसी संस्था का पुनर्गठन , जिसके साथ इरादतन ऋण न चुकाने वाला व्यक्ति जुड़ा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 में निहित शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते उपर्युक्त दंडात्मक प्रावधान संबद्ध संस्थाओं पर तब लागू नहीं होंगे जब वे इरादतन चूककर्ताओं के साथ संबद्ध नहीं रहेंगे।

स्पष्टीकरण 1 : यदि इरादतन चूककर्ता कंपनी है, तो एक अन्य कंपनी को उसके साथ संबद्ध माना जाएगा, यदि वह कंपनी -

i. कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 2 (87) के तहत परिभाषित एक 'सहायक कंपनी' है।

ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (6) के तहत 'संयुक्त उद्यम' या 'सहयोगी कंपनी' की परिभाषा के अंतर्गत आती है।

स्पष्टीकरण 2 : यदि इरादतन चूककर्ता एक प्राकृतिक व्यक्ति है तो सभी संस्थाएं, जिनमें वह प्रवर्तक या निदेशक के रूप में या संस्था के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार के रूप में संलग्न है, संबद्ध मानी जाएंगी।

(4) प्रसंविदा का समावेश

(i) बैंक को उधारकर्ता को क्रेडिट सुविधा प्रदान करते समय समझौते में यह प्रसंविदा शामिल करनी होगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को अपने बोर्ड में शामिल नहीं करेगा जिसका नाम एलडब्ल्यूडी में है या जो संस्था के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में हो।

(ii) यदि ऐसा कोई व्यक्ति बोर्ड में या संस्था के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार

पाया जाता है, तो उधारकर्ता ऐसे व्यक्ति को बोर्ड से या इसके प्रबंधन के प्रभारी से हटाने के लिए शीघ्र और प्रभावी कदम उठाएगा।

(iii) किसी भी स्थिति में बैंक ऐसे उधारकर्ता को प्रदान की गई क्रेडिट सुविधाओं का नवीनीकरण / संवर्धन / प्रावधान नहीं करेगा या मौजूदा सुविधाओं का पुनर्गठन नहीं करेगा, जब तक कि उसके प्रवर्तकऔर / या निदेशक और / या संस्था के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम एलडब्ल्यूडी में बना रहे।

(5) कानूनी कार्रवाई शुरू करना – बैंक, जहां भी आवश्यक हो, बकाया राशि की शीघ्र वसूली/मोचनरोध के लिए उधारकर्ताओं/गारंटरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करेगा ।

8. पारदर्शी तंत्र का प्रावधान

बैंक को इरादतन ऋण न चुकाने वालों की पहचान की पूरी प्रक्रिया के लिए पारदर्शी तंत्र स्थापित करना होगा, ताकि दंडात्मक प्रावधानों को निष्पक्ष तरीके से लागू किया जा सके और विवेकाधिकार की संभावना समाप्त हो सके।

9. आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका

(1) बैंक द्वारा अपने आंतरिक लेखा परीक्षकों से अपेक्षा की जाएगी कि वे उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अनुदेशों के अनुपालन की विशेष रूप से जांच करें।

(2) बैंक की लेखा परीक्षा समिति समय-समय पर इरादतन चूक के मामलों की समीक्षा करेगी और ऐसी घटनाओं को रोकने और यदि ऐसा होता है, तो उनका शीघ्र पता लगाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करेगी। समीक्षा में इरादतन चूक के मूल कारणों की पहचान करने और बैंक द्वारा अपनाई गई इरादतन चूक करने वालों के वर्गीकरण प्रक्रिया में, कमियों को दूर करने, यदि कोई हो, पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

10. गारंटर का दायित्व

(1) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 128 के अनुसार, गारंटीकर्ता का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समतुल्य है, जब तक कि अनुबंध द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो।

(2) जब मूल ऋणी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान करने में चूक होती है, तो बैंक मूल ऋणी के विरुद्ध उपचारात्मक उपाय समाप्त किए बिना भी गारंटर के विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(3) जहां बैंक ने मूल देनदार द्वारा की गई चूक के कारण गारंटर पर दावा किया है, वहां गारंटर की देयता तत्काल लागू है।

(4) यदि उक्त गारंटर बैंक द्वारा की गई मांग को पूरा करने से इनकार करता है, तो ऐसे गारंटर को पैरा 5 और 6 में निर्धारित तंत्र का पालन करते हुए इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने पर भी विचार किया जाएगा।

(5) किसी समूह में किसी एक उधारकर्ता कंपनी द्वारा इरादतन ऋण न चुकाने के मामले में, बैंक को उस कंपनी के पुनर्भुगतान प्रदर्शन के संदर्भ में, उसके पिछले रिकॉर्ड पर विचार करना चाहिए। ऐसे मामलों में जहाँ समूह की कंपनियों द्वारा इरादतन ऋण न चुकाने वाली इकाइयों की ओर से दी गई गारंटियाँ बैंक द्वारा लागू किए जाने पर स्वीकार नहीं की जाती हैं तो ऐसी समूह कंपनियों को भी पैरा 5 और 6 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए इरादतन ऋण न चुकाने वाली कंपनी के रूप में वर्गीकृत करने पर विचार किया जाना चाहिए।

अध्याय IV – इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं की रिपोर्टिंग

11. बड़े चूककर्ताओं की क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार

(1) बैंक द्वारा बड़े चूककर्ताओं के बारे में सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को मासिक अंतराल पर अनुलग्नक I में दी गई जानकारी प्रस्तुत की जाएगी:

(i) बड़े चूककर्ताओं के विरुद्ध दाखिल वाद खातों की सूची; और

(ii) बड़े चूककर्ताओं के गैर-मुकदमा दाखिल खातों की सूची, जिनके खाते को संदिग्ध या हानि खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया है (रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार)।

(2) ₹1 करोड़ की सीमा की गणना के लिए, अप्रयुक्त ब्याज, यदि कोई हो, को भी शामिल किया जाएगा। वाद-दाखिल किए गए खातों के मामले में, सीमा उस राशि से संबंधित होगी जिसके लिए वाद दाखिल किया गया है।

12. इरादतन ऋण न चुकाने वालों के बारे में ऋण सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार

(1) बैंक द्वारा सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को इरादतन ऋण न चुकाने वालों के संबंध में मासिक अंतराल पर अनुलग्नक II में दी गई जानकारी प्रस्तुत की जाएगी:

(i) वाद दाखिल खातों के संबंध में इरादतन चूककर्ताओं (एलडब्ल्यूडी) की सूची

(ii) गैर-वाद दाखिल खातों के संबंध में एक एलडब्ल्यूडी

(2) बैंक द्वारा एलडब्ल्यूडी (LWD) से इरादतन चूककर्ता का नाम हटाने के बारे में सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को तत्काल, और उस तारीख से तीस दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा जब बकाया राशि 25 लाख रुपये की सीमा से कम हो जाती है या जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, जो कि पैरा 13(2) के अधीन होगा।

13. समझौता निपटान का निर्वाहन

(1) एलडब्ल्यूडी में शामिल किसी भी खाते का बैंक द्वारा उधारकर्ता के साथ समझौता निपटान करने पर समझौता राशि का पूर्ण भुगतान करने के उपरांत ही उधारकर्ता का एलडब्ल्यूडी से नाम हटाया जाएगा।

(2) जब तक केवल आंशिक भुगतान किया जाता है, तब तक उधारकर्ता का नाम एलडब्ल्यूडी से नहीं हटाया जाएगा, भले ही बकाया राशि 25 लाख रुपये की सीमा से कम हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई सीमा से कम हो।

(3) इरादतन ऋण न चुकाने वाले के साथ समझौता निपटान भारतीय रिजर्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 में निहित अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहां कोई बैंक, समझौते की शर्तों का पालन न करने के कारण समझौता निपटान को रद्द करने का निर्णय लेता है और उधारकर्ता द्वारा देय राशि संशोधित की जाती है तो रिपोर्टिंग संशोधित राशि के संदर्भ में की जाएगी।

14. हस्तांतरित चूक वाले ऋणों का निर्वाहन

(1) ₹25 लाख या उससे अधिक के बकाया वाले किसी भी चूक वाले ऋण, चाहे वह एनपीए के रूप में वर्गीकृत ही क्यों न हो, अन्य हस्तांतरितकर्ताओं को हस्तांतरित करने से पहले, बैंक को इरादतन चूक के दृष्टिकोण से आंतरिक रूप से एक व्यापक जाँच करनी होगी। इस प्रक्रिया में द्वि-स्तरीय समिति आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रत्येक चूक वाले ऋण के लिए इरादतन चूक के पहलुओं की गहन जाँच सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

(2) ऐसे मामले में जहां इरादतन चूक पाई जाती है, बैंक द्वारा पैरा 5 में निर्धारित तंत्र के अनुसार उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आस्ति हस्तांतरित करने से पहले एलडब्ल्यूडी में क्रेडिट सूचना कंपनियों को इसकी रिपोर्ट की जाएगी।

(3) की गई रिपोर्टिंग का विवरण की जानकारी हस्तांतरितकर्ता अवश्य दी जानी चाहिए, तथा उसके बाद वे क्रेडिट सूचना कम्पनियों को इसकी सूचना देने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(4) चूक किए गए ऋण का हस्तांतरण, इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकरण हेतु सीमा की गणना करने और क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए वसूली के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऋण राशि अब तक पूर्ण रूप से वसूल नहीं हुई है।

(5) बैंक जो ऐसे ऋण के मामले में हस्तान्तरितकर्ता है जिसमें इरादतन चूक पाई गई है, खाते को इरादतन चूककर्ता के रूप में रिपोर्ट करना जारी रखेगा जब तक कि उनके खाते में वसूल की जाने वाली शेष राशि और हस्तान्तरणकर्ता द्वारा बट्टे खाते डाली गई राशि 25 लाख रुपये की सीमा से नीचे नहीं आ जाती है या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाती है, जो पैरा 13 में निहित प्रावधानों के अधीन है।

15. उन खातों का निर्वाहन जिनका समाधान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) / समाधान ढांचे के तहत किया जाता है

(1) यदि कोई खाता एलडब्ल्यूडी में शामिल है और बाद में उसका परिसमापन हो गया है या आईबीसी के तहत समाधान के परिणामस्वरूप संस्था/व्यावसायिक उद्यम के प्रबंधन और नियंत्रण

में परिवर्तन होता है, तो ऐसे उधारकर्ता या गारंटर का नाम, जिसे इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया था [जिसमें कंपनी के मामले में, उसके प्रवर्तकऔर निदेशक, और संस्था (कंपनियों के अलावा) के मामले में, वे व्यक्ति जो संस्था के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं], आईबीसी के अंतर्गत समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद एलडब्ल्यूडी से हटा दिया जाएगा।

(2) पैरा 7(3) में वर्णित दंडात्मक उपाय, आईबीसी या रिज़र्व बैंक द्वारा जारी समाधान रूपरेखा निदेशों के अंतर्गत, स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद ऐसी संस्थाओं/व्यावसायिक उद्यमों पर लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण : रिज़र्व बैंक द्वारा जारी समाधान रूपरेखा निदेशों का तात्पर्य निम्नलिखित में से किसी भी निदेश से होगा:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश

(3) पैरा 7 (3) (ii) और (iii) में वर्णित दंडात्मक उपाय पूर्ववर्ती प्रवर्तक(प्रवर्तकों) / निदेशक (निदेशकों) / गारंटर (गारंटरों) / उन व्यक्तियों पर लागू होते रहेंगे जो संस्था/ व्यावसायिक उद्यम के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे, और उन संस्थाओं पर भी लागू होंगे जो प्रवर्तक या निदेशक के रूप में या इसके प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में संबद्ध हैं।

16. सही रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारी

(1) सही जानकारी देने तथा तथ्यों और आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रिपोर्टिंग बैंक की है।

(2) बैंक को क्रेडिट सूचना कंपनियों को सूचना प्रदान करते समय निदेशकों के विवरण की सटीकता सुनिश्चित करनी होगी तथा यथासंभव, कंपनी रजिस्ट्रार के डाटाबेस से क्रॉस-चेकिंग करनी होगी।

17. गारंटरों की रिपोर्टिंग

बैंक द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों को उन गारंटरों का विवरण प्रेषित करना होगा जो अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहे हैं और जिन्हें बड़े चूककर्ता / इरादतन चूककर्ता के रूप में, जैसा भी मामला हो, घोषित किया गया है। विवरण अनुबंध I और II के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

18. निदेशकों की रिपोर्टिंग

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों के रूप में पंजीकृत व्यावसायिक उद्यमों के मामले में, बैंक को इन निर्देशों के प्रावधानों के अधीन, संबंधित व्यक्तियों की बेहतर पहचान की सुविधा के लिए, अनुबंध I और II के निदेशक कॉलम में निदेशकों का पूरा नाम भी रिपोर्ट करना होगा।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निदेशकों की सही पहचान की गई है और किसी भी मामले में, जिन व्यक्तियों के नाम एलडब्ल्यूडी में परिलक्षित होनेवाले निदेशकों के नामों के समान प्रतीत होते हैं, उन्हें इस आधार पर गलत तरीके से ऋण सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाता है, इसलिए बैंक द्वारा ऋण सूचना कंपनियों को उनके द्वारा अनुलग्नक I और II में प्रस्तुत आंकड़ों में एक फील्ड में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) भी शामिल करनी होगी।

अध्याय V - निवारक उपाय और लेखा परीक्षकों की भूमिका

19. निवारक उपाय

(1) क्रेडिट मूल्यांकन

(i) क्रेडिट मूल्यांकन करते समय, बैंक को यह सत्यापित करना होगा कि क्या कंपनी के किसी निदेशक / गारंटर / संस्था के मामलों के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति का नाम डीआईएन / पैन आदि के संदर्भ में बड़े चूककर्ता/ एलडब्ल्यूडी की सूची में शामिल है।

(ii) समान नामों के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह के मामले में, बैंक, उधार लेने वाली कंपनी से घोषणा मांगने के स्थान पर निदेशकों की पहचान की पुष्टि के लिए स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करेगा।

(2) निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी

(i) बैंक निधियों के अंतिम उपयोग की बारीकी से निगरानी करेगा और उधारकर्ताओं से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए निधियाँ प्राप्त की गई थी। उधारकर्ताओं द्वारा गलत प्रमाणीकरण के मामले में, बैंक उधारकर्ताओं के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही, जिसमें आवश्यकतानुसार आपराधिक कार्यवाही भी शामिल है, प्रारम्भ करने पर विचार करेगा।

(ii) बैंक द्वारा निधियों का अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक शर्तें और संबंधित उचित उपाय उसके ऋण नीति दस्तावेज़ का हिस्सा होंगे। बैंक द्वारा निधियों के निगरानी और अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उपायों की उदाहरणात्मक सूची इस प्रकार है:

(ए) उधारकर्ताओं की तिमाही प्रगति रिपोर्ट / परिचालन विवरण / तुलन पत्र की सार्थक जांच;

(बी)बैंक को सुरक्षा के रूप में दी गई उधारकर्ताओं की आस्तियों का नियमित निरीक्षण;

(सी)उधारकर्ताओं की खाता-बही और अन्य उधारदाताओं के पास रखे गए 'धारणाधिकार-नहीं' खातों की आवधिक जांच;

(डी)सहायता प्राप्त इकाइयों का आवधिक दौरा;

(ई)कार्यशील पूंजी वित्त के मामले में आवधिक स्टॉक ऑडिट प्रणाली;

(एफ) बैंक के 'क्रेडिट' कार्य का आवधिक व्यापक प्रबंधन ऑडिट, ताकि उनके क्रेडिट प्रशासन में प्रणालीगत कमियों की पहचान की जा सके।

(iii) निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंक को केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी प्रमाणपत्रों पर ही निर्भर न रहते हुए अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपनी ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण को भी मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा, सभी मामलों में, विशेष रूप से अल्पकालिक कॉर्पोरेट/बेजमानती (क्लीन) ऋणों के मामले में, इस तरह के दृष्टिकोण को बैंक द्वारा स्वयं 'समुचित सावधानी' द्वारा पूरक किया जाना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो, ऐसे ऋण केवल उन्हीं उधारकर्ताओं तक सीमित होने चाहिए जिनकी ईमानदारी और विश्वसनीयता स्पष्ट हो।

20. सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका

(1) यदि किसी बैंक द्वारा उधारकर्ताओं की ओर से खातों में कोई मिथ्याकरण देखा जाता है, और लेखा परीक्षा करने में लेखा परीक्षकों की लापरवाही या कमी पाई जाती है, तो बैंक द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) / भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) में उधारकर्ताओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों के विरुद्ध औपचारिक शिकायत दर्ज करने पर विचार किया जाएगा, ताकि वे लेखा परीक्षक की जवाबदेही की जांच और निर्धारण कर सकें।

(2) एनएफआरए/आईसीएआई द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित रहने तक, शिकायतें रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को भेजी जाएँगी। रिज़र्व बैंक और आईबीए को रिपोर्ट करने से पहले, बैंक द्वारा संबंधित लेखा परीक्षकों की संलिप्तता के बारे में स्वयं संतुष्टि की जाएगी और उन्हें सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में, बैंक को सामान्य प्रक्रियाओं और कार्यविधियों का पालन करना चाहिए तथा उन्हें उचित रूप से दर्ज किया जाएगा।

(3) बैंक से प्राप्त ऐसी जानकारी के आधार पर, आईबीए, ऋणदाताओं में उसे प्रसारित करने के लिए ऐसे लेखा परीक्षकों की एक सावधानी सूची तैयार करेगा, जो उन्हें कोई भी काम सौंपने से पहले इस पहलू पर विचार करेंगे।

(4) निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी के उद्देश्य से, यदि बैंक उधारकर्ताओं द्वारा निधियों के विपथन/गबन के संबंध में उधारकर्ताओं के लेखा परीक्षकों से विशिष्ट प्रमाणन चाहता है, तो बैंक को इस प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षकों को एक अलग अधिदेश प्रदान करना चाहिए। लेखा परीक्षकों द्वारा इस प्रकार के प्रमाणन को सुगम बनाने के लिए, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण समझौतों में उपयुक्त अनुबंध शामिल किए जाएँ ताकि बैंक द्वारा लेखा परीक्षक को ऐसा अधिदेश प्रदान किया जा सके।

(5) उपरोक्त के अतिरिक्त, तथा उधारकर्ताओं द्वारा निधियों के विचलन/गबन को रोकने के उद्देश्य से, बैंक उधारकर्ताओं के लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रमाणन पर निर्भर न रहते हुए, ऐसे विशिष्ट प्रमाणन के लिए अपने स्वयं के लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है।

(6) इरादतन चूक के पीछे उधारकर्ताओं के कृत्यों की प्रकृति और सामान्य क्रम में बैंक के पास उपलब्ध साक्ष्य की गुणवत्ता के आधार पर, बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक बकाया वाले खातों के संबंध में उधारकर्ताओं के मामलों और उनके खातों की पुस्तकों का फोरेंसिक ऑडिट कराने पर बैंक विचार करेगा।

21. अन्य पक्षकार की भूमिका

(1) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024 (समय-समय पर अद्यतन के अनुसार) में निर्धारित किया गया है, इरादतन चूक के मामले में बैंक द्वारा नियोजित अन्य पक्षकार की भी कुछ जवाबदेही होनी चाहिए यदि उन्होंने ऋण स्वीकृति/संवितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके कार्य में लापरवाही या कमी पाई जाती हैं या उधारकर्ता द्वारा इरादतन चूक को सुविधाजनक बनाया गया है।

(2) बैंक इन अन्य पक्षकारों का विवरण भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को अभिलेखों के लिए भेजेगा, चाहे आईबीए में बैक की सदस्यता की स्थिति कुछ भी हो। प्राप्त जानकारी के आधार पर, आईबीए ऐसे अन्य पक्षकारों की सतर्कता सूची तैयार करेगा और उसे रिज़र्व बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं को भेजेगा, जो उन्हें कोई भी कार्य सौंपने से पहले इस पहलू पर विचार करेंगी।

(3) आईबीए को रिपोर्ट करने से पहले, बैंक को संबंधित अन्य पक्षकारों की संलिप्तता के बारे में स्वयं संतुष्ट होना होगा और उन्हें सुनवाई का अवसर भी प्रदान करना होगा। इस संबंध में, बैंक को उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसे उचित रूप से दर्ज किया जाएगा।

अध्याय VI - निरसन और अन्य प्रावधान

22. निरसन और बचाव

(1) इरादतन चूककर्ता और बड़े चूककर्ता के निर्वाहन से संबंधित स्थानीय क्षेत्र बैंक के मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 दिनांक 28 नवंबर 28, 2025 के माध्यम से सूचित किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध किसी भी निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देशों के माध्यम से पहले से ही निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरसित बने रहेंगे।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या स्वीकृतियाँ इन निर्देशों द्वारा शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के निरसन से निम्नलिखित पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(i) इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(ii) इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;

(iii) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माने, जब्ती या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है मानो कि इन निर्देशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

23. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

(1) इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

24. व्याख्या

(1) इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, यदि रिज़र्व बैंक आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(जे. पी. शर्मा)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध I – बड़े चूककर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

₹1 करोड़ और उससे अधिक (वाद दाखिल और गैर-वाद दाखिल खाते) के बड़े चूककर्ताओं की सूची का मासिक आधार पर सभी सीआईसी को प्रस्तुत करने का प्रारूप

फील्ड	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	अधिकतम फील्ड लंबाई	विवरण	टिप्पणी
1.	रिपोर्टिंग साइकिल	अल्फा न्यूमरिक	5	वह महीना जिसके लिए डेटा रिपोर्ट किया गया है।	जनवरी 2024 महीने के लिए रिपोर्टिंग चक्र डेटा 'JAN24' के रूप में भरा जाना चाहिए
2.	सदस्य आईडी	अल्फा न्यूमरिक	10	फ़ील्ड में सीआईसी द्वारा निर्दिष्ट रिपोर्टिंग सदस्य कोड शामिल करना आवश्यक है।	इसमें डेटा रिपोर्ट करने वाले सदस्य की आईडी शामिल है
3.	सदस्य का नाम	कैरेक्टर	200	सदस्य का नाम	इसमें उस सदस्य का नाम अवश्य होना चाहिए जो डेटा रिपोर्ट कर रहा है।
4.	सदस्य शाखा	कैरेक्टर	30	सदस्य की शाखा का नाम	शाखा का नाम दर्ज किया जाना चाहिए।
5.	राज्य	कैरेक्टर	35	राज्य का नाम	उस राज्य का नाम जिसमें शाखा स्थित है।
6.	उधारकर्ता का नाम	अल्फा न्यूमरिक	1000	व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर और गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए 4 अक्षर होनी चाहिए।	उधारकर्ता का कानूनी नाम रिपोर्ट किया जाए।
7.	उधारकर्ता का स्थायी खाता संख्या (पैन)	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	आयकर विभाग द्वारा परिभाषित स्थायी खाता संख्या (पैन)
8.	उधारकर्ता का पता	अल्फा न्यूमरिक	1000	उधारकर्ता का स्थायी पता / पंजीकृत पता	
9.	बकाया राशि	संख्यात्मक	8	संख्यात्मक मान होना चाहिए	बकाया राशि ₹ लाख में (पूर्णांकित)

10.	वाद (सूट) की स्थिति	संख्यात्मक	2	**वैध मान** **01 -** वाद दाखिल **02 –** गैर-वाद दाखिल	वाद दायर किया गया है या नहीं को इंगित करता है।
11।	आस्ति वर्गीकरण	कैरेक्टर	5	वैध मान **गैर-वाद दाखिल खातों के लिए** संदिग्ध खातों के लिए **'DOUBT'** हानि खातों के लिए **'LOSS'** **वाद-दाखिल खातों के लिए** संदिग्ध खातों के लिए 'DOUBT' हानि खातों के लिए 'LOSS' अवमानक खातों के लिए 'SUBST' मानक खातों के लिए 'STD'	आस्ति वर्गीकरण
12.	आस्ति वर्गीकरण तिथि	अल्फा न्यूमरिक	5	वह महीना जिसमें खाते को **'mmmyy'** प्रारूप में **'DOUBT'/ 'LOSS/ SUBSTD/ STD'** के रूप में वर्गीकृत किया गया था**,** जहां **mmm** का अभिप्राय महीने के पहले **3** अक्षर हैं। वर्गीकरण की तारीख 'मार्च **2000'** को **'MAR00'** के रूप में भरा जाना चाहिए।	आस्ति वर्गीकरण की तारीख को इंगित करता है
13.	अन्य सदस्य	कैरेक्टर	1000	नाम संक्षिप्त रूप में दिए जा सकते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बीओबी, भारतीय स्टेट बैंक के लिए एसबीआई आदि।	**अन्य ऋणदाताओं के नाम भी इंगित किए जाने चाहिए जिनसे उधारकर्ता ने ऋण सुविधा प्राप्त की है।**
14.	निदेशक/ प्रवर्तक का नाम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर होनी चाहिए	निदेशक/ प्रवर्तक का नाम।
15.	निदेशक/प्रवर्तक का डीआईएन	अल्फा न्यूमरिक	8	डीआईएन संख्या की लंबाई 8 होनी चाहिए	निदेशक/ प्रवर्तक का डीआईएन।
16.	निदेशक/प्रवर्तक का पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	निदेशक/ प्रवर्तक का पैन।

17.	गारंटर का नाम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर होनी चाहिए	गारंटर का पूरा नाम इंगित किया जाना चाहिए।
18.	गारंटर का सीआईएन	अल्फा न्यूमरिक	21	गारंटर इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	केवल कानूनी इकाइयों के मामले में
19.	गारंटर का पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	व्यक्तिगत/कानूनी इकाइयों के मामले में

नोट:

- डेटा की रिपोर्टिंग संरचना पंक्ति स्तर पर होगी, जिससे सदस्यों/ऋणदाताओं को उधारकर्ता के एकाधिक निदेशकों और गारंटरों की रिपोर्ट करने में सहायता मिलेगी।
- पूर्णकालिक निदेशक के अलावा स्वतंत्र निदेशक/नामित निदेशक सहित अन्य निदेशक को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
- सरकारी उपक्रमों के मामले में अध्यक्ष/निदेशक आदि का नाम देने के स्थान पर _______ सरकार का उपक्रम' शब्द का प्रयोग करें।
- वाद दाखिल करने तथा गैर-वाद दाखिल करने के लिए अलग-अलग फाइलें प्रस्तुत की जाएंगी।

अनुबंध II – इरादतन चूक के मामलों का डेटा प्रस्तुत करने का प्रारूप

मासिक आधार पर इरादतन चूक के मामलों (वाद दाखिल और गैर-वाद दाखिल खाते) पर सभी सीआईसी को डेटा प्रस्तुत करने का प्रारूप

फील्ड	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	अधिकतम क्षेत्र लंबाई	विवरण	टिप्पणी
1.	रिपोर्टिंग साइकिल	अल्फा न्यूमरिक	5	वह महीना जिसके लिए डेटा रिपोर्ट किया गया है	जनवरी **2024** महीने के लिए रिपोर्टिंग चक्र डेटा '**JAN24**' के रूप में भरा जाना चाहिए
2.	सदस्य का आईडी	अल्फा न्यूमरिक	10	इस फ़ील्ड में सीआईसी द्वारा निर्दिष्ट रिपोर्टिंग सदस्य कोड शामिल करना आवश्यक है।	इसमें डेटा रिपोर्ट करने वाले सदस्य की आईडी शामिल है
3.	सदस्य का नाम	कैरेक्टर	200	नाम सदस्य का	इसमें शामिल होना चाहिए डेटा रिपोर्ट करने वाले सदस्य का नाम .
4.	सदस्य की शाखा	कैरेक्टर	30	सदस्य की शाखा का नाम	शाखा का नाम दर्ज किया जाना चाहिए।
5.	राज्य	कैरेक्टर	35	राज्य का नाम	उस राज्य का नाम जिसमें शाखा स्थित है।
6.	उधारकर्ता का नाम	अल्फा न्यूमरिक	1000	व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर और गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए 4 अक्षर होनी चाहिए।	उधारकर्ता का कानूनी नाम रिपोर्ट किया जाए।
7.	उधारकर्ता का पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	आयकर विभाग द्वारा परिभाषित स्थायी खाता संख्या (पैन)
8.	उधारकर्ता का पता	अल्फा न्यूमरिक	1000	उधारकर्ता का स्थायी पता / पंजीकृत पता	
9.	बकाया राशि	संख्यात्मक	8	संख्यात्मक मान होना चाहिए	बकाया राशि **₹** लाख में (पूर्णांकित)

10.	वाद (सूट) की स्थिति	संख्यात्मक	02	**वैध मान** **01 -** वाद दाखिल 02 – गैर-वाद दाखिल	वाद दाखिल किया गया है या नहीं को इंगित करता है।
11।	अन्य सदस्य	कैरेक्टर	1000	नाम संक्षिप्त रूप में दिए जा सकते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बीओबी, भारतीय स्टेट बैंक के लिए एसबीआई आदि।	अन्य ऋणदाताओं के नाम भी इंगित किए जाने चाहिए जिनसे उधारकर्ता ने ऋण सुविधा प्राप्त की है।
12.	निदेशक/ प्रवर्तक का नाम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर होनी चाहिए	निदेशक/ प्रवर्तक का पूरा नाम इंगित किया जाना चाहिए।
13.	निदेशक/ प्वर्त कडीआईए न	अल्फा न्यूमरिक	8	डीआईएन संख्या की लंबाई 8 होनी चाहिए	निदेशक की 8-अंकीय निदेशक/ प्रवर्तक पहचान संख्या।
14.	डायरेक्टर/ प्रवर्तक का पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	निदेशक/ प्रवर्तक का पैन।
15.	गारंटर का नाम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर होनी चाहिए	गारंटर का पूरा नाम
16.	गारंटर का सीआईएन	अल्फा न्यूमरिक	21	गारंटर इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	केवल कानूनी इकाइयों के मामले में
18.	गारंटर का पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	स्थायी खाता संख्या	व्यक्तिगत / कानूनी संस्थाओं के मामले में

टिप्पणी:

- डेटा की रिपोर्टिंग संरचना पंक्ति स्तर पर होगी, जिससे सदस्यों/ऋणदाताओं को उधारकर्ता के एकाधिक निदेशकों और गारंटरों की रिपोर्ट करने में सहायता मिलेगी।
- डेटा/सूचना सेक्योर फ़ाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एसएफटीपी) के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- वाद दाखिल करने तथा गैर-वाद दाखिल करने के लिए अलग-अलग फाइलें प्रस्तुत की जाएंगी।